10:31 AM | 0.7KB/s
cbsestudy.in/cbse-notes-for
Select Class

आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव:

(1) आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है | जिसके अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता, सभा-सम्मलेन करने की स्वतंत्रता, देश के भीतर घूमने-फिरने की स्वतंत्रता आदि निलंबित हो जाते है |

(2) विधानमंडल ऐसे कानून बना सकती है और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद (article) 19 द्वारा प्रदत अधिकारों के खिलाफ जाते हों |

(3) आपातकाल एक अप्रत्याशित, कठिन तथा खतरनाक स्थिति है | इसमें तत्काल करवाई की आवश्यकता होती है | आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है |

(4) इसमें स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता पर ढेर सारे प्रतिबन्ध देखने को मिलते हैं | इसके अतिरिक्त संविधान में निवारक नजरबंदी का भी प्रावधान है |

2. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म या मत का पालन करने या चुनने का अधिकार है | चाहे वह किसी भी धर्म का हो वह चाहे तो अन्य किसी भी धर्म या मत के अनुसार उपासना कर सकता है | इसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते है |

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल प्रावधान

(iv) भारत में कही भी आने जाने की स्वतंत्रता

(v) भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता

(vi) कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता

(vi) जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

(vii) अभियुक्तों एवं सजा पाए लोगों का अधिकार

जीवन का अधिकार :

सर्वोच्य न्यायलय ने यह माना है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है इसके लिए यह परिभाषा दी है -

'जीवन के अधिकार' का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता |

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार :

किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धरित प्रक्रिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

अभियुक्त एवं सजा पाए लोगों को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार :

(i) गिरफ्तार किये जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है।

(ii) इसके अलावा, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मैजिस्टेट के सामने पेश करे।

व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कम-से-कम नियन्त्रण की बात पर जोर दिया है। एक सिद्धान्त के रूप में उदारवाद इंग्लैण्ड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रान्ति तथा फ्रांस की 1789 की क्रान्ति का परिणाम माना जाता है। लॉक को व्यक्तिवादी उदारवाद का पिता माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक 'राष्ट्रों की सम्पत्ति' (1776) जो अमेरिका की स्वतन्त्रता के घोषणापत्र के समय प्रकाशित हुई को आर्थिक उदारवाद की बाइबल माना जाता है। माक्र्सवादी उदारवाद का विकास बेन्थम तथा जेम्स मिल के द्वारा किया गया है। माण्टेस्कयू की रचना 'The spirit of laws' भी उदारवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रुसो का यह कथन कि 'व्यक्ति स्वतन्त्र पैदा हुआ है, लेकिन उसके पैरों में हर जगह बेड़ियां हैं' उदारवाद के प्रति उसके आग्रह को व्यक्त करता है। लॉक की 'लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा' भी उदारवादी दर्शन से सरोकार रखती है। उदार आदर्शवादी विचारक टी0एच0 ग्रीन को 20वीं सदी के उदारवाद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बीसवीं सदी का उदारवाद अपने प्राचीन रूप से कुछ विशेषताएं समेटे हुए हैं समसामयिक या आधुनिक उदारवाद निर्बाध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता और राज्य के साथ उसके सम्बन्ध एक कार्यक्षेत्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए है। आधुनिक समय में उदारवाद व्यक्ति की बजाय समाज के हित को

वाद के विकास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न पूंजीपति वर्ग को आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा करने की छूट देता है। इसी कारण लॉस्की ने कहा है कि "मध्यकाल के अन्त में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवार की उत्पत्ति हुई।" पुनर्जागरण काल में यह बौद्धिकता के विकास के कारण धार्मिक अन्धविश्वासों को समाप्त करने के प्रतिनिधि के रूप में विकसित हुआ। धर्म सुधार आन्दोलनों ने व्यक्ति को ही राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र बना दिया। चर्च की सत्ता का लोप हो गया। व्यक्ति चर्च की दासता से मुक्त हो गया और चर्च की निरंकुश सत्ता का अन्त हो गया। आधुनिक युग में यह निरंकुश सत्ता के विरूद्ध एक प्रतिक्रिया या आन्दोलन का प्रतिनिधि है जिसने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्व प्रतिपादित किया है।

लॉस्की का मानना है कि "मध्यकाल के अन्त में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद का जन्म हुआ।" आधुनिक युग में उदारवाद के दर्शन इंग्लैण्ड में होते हैं। वाल्टेयर, लॉक, रुसो, कॉण्ट, एडम स्मिथ, मिल, जैफरसन, माण्टेस्कयू, लॉस्की, बार्कर जैसे विचारकों को उदारवाद को महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। इन सभी राजनीतिक दार्शनिकों का ध्येय विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् नीति (Laissez Faire) का समर्थन करना रहा है। इन विचारकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा है और व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कम-से-कम नियन्त्रण की बात पर

समय में उदारवाद व्यक्ति की बजाय समाज के हित को प्राथमिकता देता है। इसी कारण आज राज्य को 'कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य' को प्राप्त करने के लिए उदारवादी विचारक स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं, चाहे इसके लिए राज्य को मानव की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कुछ हनन ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार नवीन उदारवाद का दृष्टिकोण राज्य के प्रति सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं।

उदारवाद' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Liberalism' का हिन्दी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Liberty' से हुई है। इस दृष्टि से यह स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ है 'व्यक्ति की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त।' 'Liberalism' शब्द लेटिन भाषा के 'Liberalis' शब्द से भी सम्बन्धित माना जाता है। इस शब्द का अर्थ भी स्वतन्त्रता से है। उदारवाद को परिभाषित करने से पहले यह जा लेना भी जरूरी है कि उदारवाद अनुदारवाद का उल्टा नहीं है, क्योंकि यह अनुदारवादी किसी भी प्रकार के परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं, जबकि उदारवादी उन परिवर्तनों के समर्थक हैं जिनसे मानवीय स्वतन्त्रता का पोषण होता है। उदारवाद के बारे में यह कहना भी गलत है कि यह व्यक्तिवाद है। 19वीं सदी के अन्त तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विशेष अन्तर नहीं था तथा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त को ही उदारवाद कहा जाता था, लेकिन आज व्यक्ति की बजाय समस्त समाज के कल्याण पर ही जोर देने की बात उदारवाद का प्रमुख सिद्धान्त है। इसी तरह उदारवाद और लोकतन्त्र भी समानार्थी नहीं है क्योंकि उदारवाद का मूल लक्ष्य स्वतन्त्रता है जबकि लोकतन्त्र का समानता है। सत्य तो यह है कि उदारवाद का सम्बन्ध स्वतन्त्रता से है जो बहुआयामी होता है अर्थात् जिसका सम्बन्ध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। उदारवाद को परिभाषित करते हुए मैकगवर्न ने कहा है-''राजनीतिक सिद्धान्त

षित करते हुए मैकगवर्न ने कहा है-''राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में उदारवाद को पृथक-पृथक तत्वों का मिश्रण है। उनमें से एक लोकतन्त्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है।''

1. **डेरिक हीटर के अनुसार-**''स्वतन्त्रता उदारवाद का सार है। स्वतन्त्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतन्त्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है।''
2. **हेराल्ट लॉस्की के अनुसार-**''उदारवाद कुछ सिद्धान्तों का समूह मात्र नहीं बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात् चित्त प्रकृति है।''
3. **डॉ0 आशीर्वादम् के अनुसार-**''उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा न होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिन्तन-धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है।''
4. **इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार-**''दर्शन या विचारधारा के रूप में, उदारवाद की परिभाषा प्रशासन की रीति और नीति के रूप में समाज के संगठनकारी सिद्धान्त और व्यक्ति व समुदाय के लिए जीवन-पद्धति में स्वतन्त्रता के प्रति प्रतिबद्ध विचार के रूप में की जा सकती है।''
5. **सारटोरी के अनुसार-**''उदारवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,

8. **आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् अथवा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन –** उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों के उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को इस बात की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय करें और उसमें पूंजी लगाए। व्यवसाय के सम्बन्ध में राज्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। राज्य को संरक्षण की प्रवृत्ति से दूर ही रहना चाहिए। राज्य का दृष्टिकोण भी सम्पत्ति के अधिकार के बारे में निरपेक्ष ही होना चाहिए। समाज की सत्ता को आर्थिक उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि का नियमन नहीं करना चाहिए और न ही वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण या बाजार-नियन्त्रण आदि में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता ने उदारवाद की इस मान्यता को गहरा आघात पहुंचाया है। समसामयिक उदारवादी विचारक 'राज्य के कल्याणकारी' विचार को सार्थक बनाने के लिए अब राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करने लगे हैं। अत: आधुनिक उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्यम् नीति का सिद्धान्त ढीला पड़ता जा रहा है।

है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनने व हटाने की वकालत करता है। व्यापक अर्थ में यह एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो मानव के विभिन्न बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण एवं एकीकरण का प्रयास करता है। सामाजिक क्षेत्र में यह धर्म निरपेक्षता का समर्थन करके धार्मिक रूढ़िवाद से मानवीय स्वतन्त्रता की रक्षा करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का समर्थक है। बुर्जुआ उदारवादियों के रूप में यह राज्य को आवश्यक बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है तो समाजवादियों के रूप में यह उत्पादन और वितरण पर राज्य के नियन्त्रण की वकालत करता है। इस तरह उदारवाद दो विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में फंसकर रह जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यह व्यक्ति को अधिक से अधिक छूट देने का पक्षधर है ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो। उदारवाद राजनीतिक क्षेत्र में संसदीय प्रजातन्त्र का समर्थक है तथा शक्तियों के पृथक्करण, कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्थाओं का पक्षधर है अत: उदारवाद अपने हर रूप में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का ही पोषक है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमन का विरोधी है चाहे वह नैतिक हो या धार्मिक, सामाजिक हो या राजनीतिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक। अपने इस रूप में यह गतिशील दर्शन है जिसका ध्येय मानव की स्वतन्त्रता है और परिवर्तनशील परिस्थितियों में इस ध्येय की प्राप्ति के लिए अनुकूल मार्ग का अनुसरण करता है।

5. **सारटोरी के अनुसार-**"उदारवाद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धान्त तथा व्यवहार है।"
6. **लुई वैसरमैन के अनुसार-**"उदारवाद को भावात्मक तथा वैचारिक दृष्टि से एक ऐसे आन्दोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति में समर्पित रहा है।"

साधारण शब्दों में उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचाधारा है जो सत्ता के केन्द्रीयकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। अपने संकीर्ण अर्थ में उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखता है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनने व हटाने की वकालत करता है। व्यापक अर्थ में यह एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो मानव के विभिन्न बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण एवं एकीकरण का प्रयास करता है। सामाजिक क्षेत्र में यह धर्म निरपेक्षता का समर्थन करके धार्मिक रूढ़िवाद से मानवीय स्वतन्त्रता की रक्षा करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का समर्थक है। बुर्जुआ उदारवादियों के रूप में यह राज्य को आवश्यक बुराई बताकर व्यक्तिवाद का समर्थन करता है तो समाजवादियों के रूप में यह उत्पादन और वितरण

उदारवाद का विकास

उदारवाद की अवधारणा के बीज सुकरात व अरस्तु के चिन्तन में ही सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन यूनानी चिन्तकों ने ही चिन्तन की स्वतन्त्रता और राजनीतिक स्वतन्त्रता के विचार का प्रतिपादन किया था। मध्य युग में ईसाइयत के धर्म-गुरुओं ने दासता का विरोध एवं धार्मिक स्वतन्त्रता का समर्थक करके उदारवाद के सिद्धान्तों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ विचारकों का मत है कि उदारवाद का उदय पहले धार्मिक प्रभुत्व और बाद में राजनीतिक प्राधिकारवाद की शक्तियों के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ जिसने व्यक्तिवादी परम्पराओं को समाप्त करना चाहा था। इस नाते यह पहले पुनर्जागरण और धर्म सुधार आन्दोलनों में प्रकट हुआ जिनका उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक अन्धविश्वासों की बेडियों से मुक्त कराना और उसके प्राचीन युग की जिज्ञासु भावना का संचार करना था, यह प्रभुसत्तात्मक राष्ट्र-राज्य के समर्थन में भी प्रकट हुआ। इसका यह कारण था कि आधुनिक राज्य पोप के सर्वशक्तिमान अधिकार के विरूद्ध सम्भावी चुनौतियों के रूप में उभर कर आया जो निरंकुशतन्त्र का साकार रूप बन गया था। जब राजसत्ता निरंकुशवाद के मार्ग पर अग्रसर हुई तो उदारवाद राजसत्ता के आलोचक के रूप में उभरा। इसका उदाहरण हमें आधुनिक युग के उन सभी जन-आन्दोलनों में देखने को मिलता है जो नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास थे। उदारवाद के विकास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह